


08/12

वरुण उद्योगिक संस्थान
 की T9 वास्तव्य सुनीमई (उद्योगिक)
 न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अर्पण
 निषेधाज्ञा दिनांक 01-5-2018 से मूल
 वास्तव्य निर्माण एवं उद्योगिक संस्थान को
 पाबंद किया गया न्यायालयिक पाबंदी के
 कारण इस न्यायालय द्वारा जारी
 अंतरिम अर्पण निषेधाज्ञा दिनांक
 01-5-2018 से उद्योगिक संस्थान को
 पाबंद किया जाता है तथा अंतरिम
 अर्पण निषेधाज्ञा मूल वास्तव्य निर्माण
 एवं सुनीमई की जाती है परन्तु इस
 सुचारु ढंग से नमक से कम धातु (कच्चा
 व कमील बालु) मूल वास्तव्य
 सुनीमई गमाए।


 उपखण्ड अधिकारी
 मृदा एवं जल विभाग